निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 893) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

t y l lk/ku foHkkx

अधिसूचना

18 tu 2015

सं० 22 / नि0सि0(जम0)–12–02 / 2004 / 1379––श्री नवल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल संख्या–8, जमशेदपुर का सम्वर्ग विभाजन के उपरान्त बिहार सम्वर्ग आवंटित किये जाने के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त अभिलेख के आधार पर विभागीय पत्रांक 298 दिनांक 01.04.2005 द्वारा निम्नांकित आरोप गठित करते हुए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 'ए' के तहत स्पष्टीकरण पूछा गयाः–

(i) माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर डब्ल्यू0 पी0 (सी0) संख्या – 1072 / 2004 में तथ्यात्मक विवरणी तैयार कर मुख्य अभियंता कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश एवं दिनांक 10.03.2004 को स्टैण्डिंग कॉन्सिल (माईन्स) डॉ0 एस0 के0 वर्मा से सम्पर्क कर उनके निदेशानुसार मामले में अग्रेतर कार्रवाई हेतु दिए गए मुख्य अभियंता का आदेश (पत्रांक–524 दिनांक 16.03.2004) का अनुपालन नहीं किया गया। यह कृत उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं न्यायालय के प्रति उदासीनता का द्योतक है।

(ii) डब्ल्यू0 पी0 (सी0) संख्या–1302 / 2003, वैद्यनाथ शर्मा बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय दिनांक 24.03.2004 के अनुपालन में तत्परता नहीं बरतने के कारण ही डब्ल्यू0 पी0 (सी0) संख्या–1072 / 2004 उद्भुत हुआ। इस मामले में मुख्य अभियंता के पत्रांक–695 दिनांक 31.03.2004 का उल्लंघन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर नहीं किया गया। यह उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित कार्यों को भी गंभीरता से नहीं लेने का मामला बनता है।

(iii) जनहित याचिका डब्ल्यू0 पी0 (पी0 आई0 एल0) संख्या–2887 / 2004 झारखण्ड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ बनाम झारखण्ड सरकार व अन्य मामले में विभागीय पत्रांक 618 दिनांक 17.06.2004 द्वारा अनुमोदित तथ्यात्मक विवरणी को दायर करने हेतु आपको प्राधिकृत किया गया परन्तु यह मामला उनके प्रमंडल से संबंधित नहीं है, का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेवारी दूसरे के सिर मढ़ने का काम किया गया है।

(iv) आपके पत्रांक 354 दिनांक 21.04.2004 द्वारा अपने उच्चाधिकारी के प्रति अनादर भाव व्यक्त करते हुए अपनी जवाबदेही उच्चस्थ पदाधिकारी (प्रतिवादी सं0–6) प्रशासक के सचिव (प्रावैधिक) पर डालते हुए विषयक मामले में तथ्यात्मक विवरणी तैयार करने के लिए कहा जाना गंभीर अनुशासनहीनता तथा कार्यालय मर्यादाओं के विरूद्ध है।

श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण को जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए मंतव्य की माँग की गई। जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के आलोक में पुनः विभागीय पत्रांक 1045 दिनांक 12.10.2006 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री प्रसाद दिनांक 30.06.2008 को सेवानिवृत हो चुके हैं। तत्पश्चात उनके सेवाकाल में सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 'ए' के तहत प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए विभागीय संकल्प सं0–498 दिनांक 30.04.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत जाँच हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1255 दिनांक 30.09.2014 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में आरोप संख्या–(i) के संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा कहा गया कि एडवोकेट कार्यालय के पत्र के द्वारा डब्ल्यू0 पी0 (सी0) संख्या – 1072/2004 में मुख्य अभियंता एवं सचिव (प्रावैधिक) को प्रतिशपथ पत्र दायर करना था तो वो कैसे प्रतिशपथ पत्र दायर करते।

समीक्षा में यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप प्रतिशपथ पत्र दायर करने का नहीं है बल्कि मुख्य अभियंता, चांडिल के आदेश के बावजूद उक्त याचिका का तथ्य कथन तैयार नहीं करने का आरोप है। इस संदर्भ में उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी उक्त आरोप को प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप संख्या–(i) प्रमाणित है।

आरोप संख्या–(ii) के संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा कहा गया है कि मुख्य अभियंता, चाण्डिल एवं सचिव (प्रावैधिक) द्वारा आरोप संख्या–(i) में वर्णित कोर्ट केस में प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं करने के कारण उद्‌भुत हुआ।

श्री प्रसाद के प्रत्युत्तर की समीक्षा में यह पाया गया कि डब्ल्यू0 पी0 (सी0) संख्या – 1302/2003 वैद्यनाथ शर्मा बनाम झारखण्ड सरकार व अन्य में पारित न्याय निर्णय का तत्परता से अनुपालन नहीं करने के कारण दूसरी याचिका डब्ल्यू0 पी0 (सी0) संख्या–1072/2004, नवल किशोर सिंह बनाम झारखण्ड सरकार व अन्य उद्‌भुत हुआ जिसका भी तथ्य कथन श्री प्रसाद द्वारा मुख्य अभियंता, चांडिल के आदेश के बावजूद तैयार नहीं किया गया। एक कोर्ट केस के न्याय निर्णय का अनुपालन नहीं होने से दूसरा कोर्ट केस उद्‌भुत हुआ जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई। उक्त आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा भी प्रमाणित पाया गया है। अतएव आरोप संख्या–(ii) श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रमाणित है।

आरोप संख्या–(iii) के संदर्भ में श्री प्रसाद का कहना है कि निधि मद में निधि उपलब्ध नहीं था जब निधि उपलब्ध हुआ तब जनहित याचिका डब्ल्यू0 पी0 (पी0 आई0 एल0) संख्या– 2887/2004 झारखण्ड व अन्य मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

श्री प्रसाद के इस कथन को स्वीकार करने योग्य पाया गया।

आरोप संख्या–(iv), आरोप संख्या–(i) एवं (ii) से संबंधित है जो प्रमाणित है।

इसके अतिरिक्त श्री प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में कहा गया कि उन्हें सेवानिवृत हुए लगभग 7 (सात) वर्ष हो गए अर्थात् सेवानिवृति के चार वर्ष से अधिक पूर्व का मामला है इसलिए इन पर (श्री प्रसाद) 43 (बी0) लागू नहीं होगा।

इस संबंध में समीक्षा में यह पाया गया कि श्री प्रसाद के सेवा काल में ही सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 'ए' के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई थी जिसे इनकी सेवानिवृति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया गया है।

अतः सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री नवल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल संख्या–8, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

(i) पाँच प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षों के लिए रोक।

सरकार के उक्त निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 443 दिनांक 13.05.2005 के माध्यम से सहमति प्रदान की गई है।

अतएव सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री नवल किशोर प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमंडल संख्या–8, जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

(i) पाँच प्रतिशत पेंशन पर दो वर्षों के लिए रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 893-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in**